

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/एसीपी/ सी-37/पार्ट-I/2019/

दिनांक:-

आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.14 (1) एफ.डी(नियम)/2013-II दिनांक 28.06.2013 एवं राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2017 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित नर्स-2 एवं महिला स्वास्थ्य दर्शिका जिन्होंने 9, 18 व 27 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से निम्नानुसार एसीपी स्वीकृत की जाती है:-

| क्र. स. | कर्मचारी का नाम व पद | सम्बन्धित अधिकारी | जन्म तिथि | प्रथम नियुक्ति तिथि | दिनांक व पूर्ण सेवा अवधि | देय पे बन्ड/ वर्तमान में प्राप्त पे मैट्रिक्स लेवल | देय पे ग्रेड/ देय पे मैट्रिक्स लेवल |
|---------|-----------------------------|-------------------|-----------|---------------------|--------------------------|--|-------------------------------------|
| 1 | गुंजन कुमारी मेघवाल, नर्स-2 | डूंगरपुर | 08.03.86 | 17.08.09 | 17.08.18 09 वर्ष | L-11 | L-12 |
| 2 | मेरी सी.पी., नर्स-2 | नागौर | 30.09.62 | 13.08.09 | 13.08.18 09 वर्ष | L-11 | L-12 |
| 3 | जयन्वती सोलंकी, नर्स-2 | बाडमेर | 07.11.79 | 11.08.09 | 11.08.18 09 वर्ष | L-11 | L-12 |
| 4 | बीनू वी, नर्स-2 | जोधपुर | 31.05.78 | 11.08.09 | 11.08.18 09 वर्ष | L-11 | L-12 |
| 5 | मैना विश्नोई नर्स-2 | जोधपुर | 01.01.79 | 11.08.09 | 11.08.18 09 वर्ष | L-11 | L-12 |
| 6 | बलसम्मा जौर्ज, नर्स-2 | धौलपुर | 30.07.62 | 09.03.99 | 09.03.17 18 वर्ष | 9300-34800 | 5400 |

नोट:- उक्त कर्मियों में यदि किसी कार्मिक के दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् तीसरी सन्तान हुई है तो यह आदेश उन पर लागू नहीं होगा।

→

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर

दिनांक:- 12/3/19

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/एसीपी/ सी-37/पार्ट-I/2019/333

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 सम्बन्धित संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन राजस्थान।
- 2 सम्बन्धित अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज संलग्न चिकित्सालय, राजस्थान।
- 3 सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
- 4 सम्बन्धित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
- 5 सम्बन्धित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
- 6 सम्बन्धित वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजस्थान।
- 7 सम्बन्धित चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजस्थान।
- 8 सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- 9 प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।
- 10 आदेश/निजी पत्रावली।

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर